

फर्द अहकाम
दिनेशराय बनाम गोविन्द

म न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर
संख्या 52/2024

वायद वाकत विनाम

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/03/25	<p>पगावली पेशा डई। कच्चिपन्ता वाडी उपस्थित। वल्स कुरेजात सिपोर्ट पर सुनी गइ।</p> <p>वाडी की भोट से कुरेजात सिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गइ है। अल्खादीपुजु के विरुद्ध एकापदा वाकतवाही कादेश पूर्व में जारी है। अल्खादीपुजु की भोट से सकरण का किसी भी स्तर पर कोई खंडन प्रतिरोध उत्पन्न नहीं किया गया है। कुरेजात सिपोर्ट के संदर्भ में भी किसी प्रकार की कोई मान्यता औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं की गइ है। अक्लौवन अनुसार कुरेजात सिपोर्ट विच्छिन्न व अक्षयान अनुकूल तैयारी की गई प्रतीत होती है। अतः संदर्भ में वाडी पुनः उसी सहमति/सहमति व्यक्त की गइ है। अतः अदालतदार कोर्ट की भोट से, वाकि जमान दिलीची तह. कोर्ट जिला जयपुर स्थित वाड कधीन मुमि कारणी खपता नं. 1124/1890, 1125 कुल खपता कित्त 2 कुल रकवा 0.8700 है. के संदर्भ में, अहृत कुरेजात प्रत्येक अनुसार वायद वाडी अहितक डिकी किया जाता है। अहृत कुरेजात प्रस्ताव व संलग्न नक्शा किर्णय व डिकी का अजुज डिस्स रेडगा।</p> <p>किर्णय सुताया गथा।</p> <p>पगावली फल सुहा होकर दजे नाकर के वम हो। वादत फकील वाकिर खपता हो।</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर



अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर
इजलास डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस

वाद संख्या : 52/2024

निर्णय दिनांक : 28.03.2025

दिनेश राय भाटी पुत्र हनुमान जाति बलाई निवासी मकान नं. 2 अयोध्या कॉलोनी हीरापुरा 200 फीट
बाईपास अजमेर रोड जिला जयपुर

वादी

बनाम

गोविन्दा पुत्र नाथू जाति रैगर निवासी रैगरों की बस्ती ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन
निर्णय

वादी द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव) पर सहमति व्यक्त की गई है तथा
अवलोकन अनुसार भी कुरेजात रिपोर्ट विधिपूर्वक व विधिसंमत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती
अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1124/1890, 1125 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर वाके
ग्राम बिलौची के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।
प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट निर्णय डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।



वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गोविन्दा पुत्र नाथू हि. 7/36 जाति रैगर सा.देह खातेदार	1124/1890	0.2800	बारानी 3	0.64
2	दिनेश राय भाटी पुत्र हनुमान सहाय भाटी हि. 29/36 जाति बलाई निवासी मकान नं. 2 अयोध्या कॉलोनी हीरापुरा 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जिला जयपुर	1125	0.5900	बारानी 3	1.36
कुल किता		02	0.8700	-	2.00
कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गोविन्दा पुत्र नाथू जाति रैगर सा.देह खातेदार	1124/1890/2	0.0115	बारानी 3	-
		1125/2	0.1577	बारानी 3	-
कुल किता		02	0.1692	बारानी 3	-
2	दिनेश राय भाटी पुत्र हनुमान सहाय भाटी जाति बलाई निवासी मकान नं. 2 अयोध्या कॉलोनी हीरापुरा 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जिला जयपुर	1124/1890/1	0.2685	बारानी 3	-
		1125/1	0.4323	बारानी 3	-
कुल किता 2			0.7008	बारानी 3	-

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..... फीरदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुहताय-जयपुर
ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया है या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुहताय-जयपुर